/181

**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

पत्रांक :-2509

प्रेषक

**लोकेश कुमार सिंह, (भा०प्र०से०)**
सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार।

सेवा में,

**सभी सिविल सर्जन,**
बिहार।

पटना, दिनांक 05 / 11 / 2025

**विषयः–जिले के सभी Regular and Contractual चिकित्सकों के Health Professional Registry (HPR) का 100% पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।**

**प्रसंगः–कार्यालय पत्रांक 747 दिनांक 25.04.2024**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके जिले के सभी चिकित्सकों (Regular and Contractual Both) का Health Professional Registry (HPR) में पंजीकरण पूर्ण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जिले में 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान में बिहार राज्य द्वारा सरकारी चिकित्सकों का मात्र 56 प्रतिशत HPR पंजीकरण ही पूर्ण किया गया है। National Health Authority द्वारा इस प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह की जाती है, जबकि बिहार राज्य को HMIS–BHAVYA प्रणाली को अपनाने में अग्रणी राज्य के रूप में सराहा गया है, तथापि चिकित्सकों के HPR पंजीकरण में अब भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत यह अत्यावश्यक है कि सभी चिकित्सक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों तथा सत्यापित Digital Doctor के रूप में सम्मिलित किए जाए।

आपके जिले के उन चिकित्सकों की सूची संलग्न की जा रही है जिनका HPR पंजीकरण अब तक नहीं हुआ है। आपसे अनुरोध है कि उक्त चिकित्सकों का पंजीकरण शीघ्राताशीघ्र ड्राइव मोड में पूर्ण कराया जाए। आपके सक्रिय सहयोग से राज्य स्तर पर HPR पंजीकरण की स्थिति में सुधार संभव होगा।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर Project Coordinator (PC–ABDM) की नियुक्ति है, जो इस कार्य में आपका सहयोग करेंगे। उनके नाम एवं संपर्क विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध हैं। कृपया उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करते हुए इस कार्य की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
05/11/2025

ज्ञापांक 2509 — पटना, दिनांक 05/11/25

प्रतिलिपि–
1. परियोजना समन्वयक, ABDM –सूचनार्थ एवं कार्यान्वयन हेतु प्रेषित।
2. राज्य PMU- ABDM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक, पीरामल फाउंडेशन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंधक, ABDM, NHA नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संयुक्त निदेशक (कोऑर्डिनेशन), ABDM को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), ABDM – सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ABDM –सह प्रशासनिक पदाधिकारी, BSSS – को सचूनार्थ प्रेषित।
8. श्री राजेश कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
9. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, को सूचनार्थ।
10. निदेशक, ABDM, NHA, भारत सरकार, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग
05/11/2025